

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
पीठासीन अधिकारी-पीयूष समारिया, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या -136/2022

जी.सी.एम.एस. पोर्टल संख्या- 2022/162

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, 19-ए, झूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर 302001 राजस्थान द्वारा प्राधिकृत अधिकारी धर्मेन्द्र गहलोत पुत्र श्री प्रेमराज गहलोत, ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, 19-ए, झूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर 302001		1-श्रीमती फरजाना बानो पत्नि स्वर्गीय श्री अब्दुल वकील निवासी सिलावटो का बास ग्राम गगराना तहसील मेडता जिला नागौर-341510 दूसरा पता-श्रीमती फरजाना बानो, शाहरुख खान एवं स्वर्गीय अब्दुल वकील के सभी विधिक प्रतिनिधि, खसरा नम्बर-4644/2821, 4645/2824, प्लोट नम्बर 4, 5, 6 व 7, मिलनसार नगर कॉलोनी, ग्राम गगराना तहसील मेडता जिला नागौर। (सह ऋणी एवं विधिक प्रतिनिधि स्वर्गीय श्री अब्दुल वकील ऋणी) 2-शाहरुख खान पुत्र स्वर्गीय श्री अब्दुल वकील निवासी सिलावटो का बास, गगराना तहसील मेडता जिला नागौर। (विधिक प्रतिनिधि स्वर्गीय श्री अब्दुल वकील ऋणी)

आदेश

दिनांक: 26-4-2022

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ।

प्रकरण में प्रार्थी की से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र पर, वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी/ऋणी को जरिये रुपये 9,00,000/- (अक्षरे नौ लाख रुपये मात्र) ऋण सुविधा दिनांक 31.07.2019 को ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में सम्पति- जायगा जो खसरा नम्बर 4644/2821, 4645/2824 प्लोट नम्बर 4, 5, 6 व 7, मिलनसार नगर कॉलोनी, ग्राम गगराना तहसील मेडता जिला नागौर में स्थित है। जो 5076 वर्गफुट जायगा व उसमें स्थित सम्पति जिसमें भूमि, भवन व ढांचा आदि सभी जो सम्पति के अभिन्न अंग हैं, जो स्वर्गीय अब्दुल वकील द्वारा धारित थी। जिसके पडोस निम्न है- उतर में-20 फुट चौड़ा रास्ता। दक्षिण में-खसरा नम्बर 4643/2824 व 4642/2821 की जमीन। पूर्व में-20 फुट रास्ता। पश्चिम में- गुजर, जो प्रार्थी बैंक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एवं जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैंक के नियमानुसार भुगतान नहीं चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को दिनांक 03.02.2021 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व उक्त ऋण के संबंध में अप्रार्थी/ऋणी में कुल रुपये 10,69,314/- (अक्षरे दस लाख उन्नसत्तर हजार तीन सौ चौदह रुपये मात्र) दिनांक 23.12.2021 तक शेष देय है एवं दिनांक 24.12.2021 से आगे का ब्याज व खर्च सहित राशि का भुगतान बकाया निकलते है।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) का नोटिस दिनांक 23.12.2021, प्रार्थी बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये, एवं नोटिस का अखबार प्रकाशन भी करवाया गया, परन्तु सूचना के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर-अन्दर ऋण राशि में रुपये 10,69,314/- (अक्षरे दस लाख उन्नसत्तर हजार तीन सौ चौदह रुपये मात्र) दिनांक 23.12.2021 तक शेष देय है एवं दिनांक 24.12.2021 से आगे का ब्याज व खर्च सहित राशि का भुगतान को जमा कराना था, परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को बंधक सम्पति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैंक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैंक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से



संबंधित डोक्यूमेंट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बैंक सिक्योरिटीज सम्पत्ति का विवरण सम्पत्ति- जायगा जो खसरा नम्बर 4644/2821, 4645/2824 प्लॉट नम्बर 4, 5, 6 व 7, मिलनसार नगर कॉलोनी, ग्राम गगराना तहसील मेडता जिला नागौर में स्थित है। जो 5076 वर्गफुट जायगा व उसमें स्थित सम्पत्ति जिसमें भूमि, भवन व ढांचा आदि सभी जो सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं, जो स्वर्गीय अब्दुल वकील द्वारा धारित थी। जिसके पडोस निम्न है- उतर में-20 फुट चौड़ा रास्ता। दक्षिण में-खसरा नम्बर 4643/2824 व 4642/2821 की जमीन। पूर्व में-20 फुट रास्ता। पश्चिम में- गुजर, जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डौक्यूमेंट्स का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से रुपये 9,00,000/- (अक्षरे नौ लाख रुपये मात्र) ऋण सुविधा दिनांक 31.07.2019 को प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है- प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा, उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा, और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर - (क) उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमों को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय में आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानों को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध में पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष में बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व में सम्पत्ति- जायगा जो खसरा नम्बर 4644/2821, 4645/2824 प्लॉट नम्बर 4, 5, 6 व 7, मिलनसार नगर कॉलोनी, ग्राम गगराना तहसील मेडता जिला नागौर में स्थित है। जो 5076 वर्गफुट जायगा व उसमें स्थित सम्पत्ति जिसमें भूमि, भवन व ढांचा आदि सभी जो सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं, जो स्वर्गीय अब्दुल वकील द्वारा धारित थी। जिसके पडोस निम्न है- उतर में-20 फुट चौड़ा रास्ता। दक्षिण में-खसरा नम्बर 4643/2824 व 4642/2821 की जमीन। पूर्व में-20 फुट रास्ता। पश्चिम में- गुजर, जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध में संबंधित थानाधिकारी, पुलिस थाना को निर्देशित करे कि वे उक्त संपत्ति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे में हो तो उन दस्तावेजों को प्रार्थी को संभलाने हेतु मौके पर जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करें।

आदेश सुनाया गया।



(पीयूष संमारिया)
जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, नागौर
जिला मजिस्ट्रेट
नागौर